

3-6-22

श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महो० जयपुर के
 पत्रांक सं० 2057 दिनांक 8-3-22 द्वारा विनोदित रास्ते
 की मूल पतावली पुनः प्राप्त हुई है जिसमें श्रीमान
 राजस्व अपील प्राधिकारी महो० जयपुर द्वारा सूचना सं०
 की सहमति राजीनामानुसार इसका मालम द्वारा पारित
 निर्णय दिनांक 26-7-19 में ख.नं. 436/1 को उचित
 भूमि में कायम किये गये रास्ते के स्थान पर ख.नं. -
 1861/435, 434, 424/2, में 15 फीट चौड़ाई का रास्ता
 कायम किये जाने का संशोधन का इसका मालम को
 मूल राजीनामा भ्रम जकारा प्रेषित कर प्रार्थना पत्र
 राजीनामानुसार निर्णय न डिकी दिनांक 26-7-19
 संशोधन कर सहस्रियार मि. देनमाल को समल
 करा गये हेतु आदेश पुनः पारित करने के निर्दिष्ट
 दिने जाने पर पतावली पुनः दक्ष राजस्व को
 जाकर निर्णय प्रथम से टंकित कर कायम जाकर
 दायित्व काईल किया गया। पतावली में मूल पत्र
 होकर गजबत के काम हेतु दायित्व दक्ष है,
 निर्णय सुलेख मालम में सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी
 लेख